2591/43
4-2-13

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

हम लोग कि खेमचन्द व झब्बूमल व चेतनदास पुत्रगण सेठ - अमरमल साकिनान मुहल्ला लक्सा शहर वाराणसी के हैं :-

चूं आराजियात नम्बरान बन्दोबस्ती ५१५ । १ रकबा -५१ डिसमिल व नम्बर ५१७ । २ रकबा -१० डिसमिल कुल तादाद दो गाटा मजमुई -६१ डिसमिल लगानी ४ रुपया ३४ पैसा जमीन किस्म पाली नम्बर १ है, जिस पर मुजिरान ईंटा - भट्ठा के प्रयोग में बराबर लाते रहे हैं और अब कारोबार भट्ठे का बन्द कर दिए हैं और जमीन की हालत इस समय बिल्कुल बशक्ल गड्ढा के है जिसमें कोई पैदावार भी होना नामुमकिन है और पानी से भरा रहता है, उपरोक्त आराजियात वाके मौजा ककरमत्ता परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी मौजूदा मुफस्सला जैल लाखराज करदा मिनमुजिरान

UTTAR PRADESH 200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs.200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

२

मौजा मिलारी पुर जिला वाराणसी मौसूमा मिन मुकिरान मौरखा ७ अक्तूबर सन १९६३ ई० जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर १ जिल्द नम्बर ३७७१ के पृष्ठ संख्या ४२ व ४३ में नम्बर ७१५५ पर दिनांक ५ नवम्बर सन १९६३ ई० को दफ्तर सबरजिस्टार साहब वाराणसी में हुई है, यौम खरीदारी बयनामा मिन मुकिरान उक्त जायदाद पर कब्जा कामिल दाखिल रहे और उसके मुनासिले बराबर मुस्तफीद होते तथा जुमला हकूक मालिकाना बराबर इस्तेमाल करतेलेआ रहे है औरसिवाय मिन मुकिरान के उस में कोई दिगरशख्स किसी तरीके पर शरीक व सहीम तथा हिस्सेदार नहीं है। और मिन मुकिरान को जुमला हकूक उसको मुन्तकिल करने का इख्तियार हासिल है, और बाहूं सो का मिनमुकिरान अपने

२१३ 100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रू. Rs 100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

3

सख्त अकाल दर पेश हो गई और चूं कि जायदाद मुसर्रा मुफासला जैल से कम कोई फायदा किसी किस्म का नहीं रह गया और वह मिन मुकिरान के लिए बेकार है, और चूंकि जायदाद मजकूर मिनमुकिरान के सकूनती मकान से काफी दूरी पर वाका है जिसकी बाकायदा देख रेख भी मिन मुकिरान नहीं कर सकते हैं और गड्ढा पटवाने में और जमीन को समथल करके उसमें खेती कार्य करने के लिए कसीर रकम की जरूरत है, जिसका करना मिनमुकिरान के सामर्थ्य से बाहर है, और बिला बेच किए जायदाद मुसर्रा मुफासला जैल अखराजात मजकूरा बाला का रफा होना भी नामुमकिन है, चुनांचे मिन मुकिरान ने आपस में सलाह व मशविरा किया कि जायदाद मुसर्रा मुफासला जैल को बेच कर अखराजात बालाको रफा करलिया जावे। मिनमुकिरान ने बयाने का

२४

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

४

पेश किए, सब से ज्यादा व माकूल कीमत बाजारी मुबलिग १२०००
बारह हजार रुपया में श्रीमती सुशीला देवी धर्म पत्नी श्री मोहन
सिंह व दलीवालिया साकिन मकान नम्बर डी ३८। ८७ मोहल्ला
हौजकटोरा शहर वाराणसी जायदाद मुसम्मा मुफस्सला जैल खरीद
करने हेतु पर तैयार व रजामंद हुई। और मिन मुकिरान ने
उपरोक्त कीमत मंजूर पर अपनी जायदाद मुसम्मा जैल को -
परोक्त करना कबूल व मंजूर करके मामला बयनामा साथ उक्त
खरीदार श्रीमती सुशीला देवी तै व पोख्ता करके जरिए
सट्टा एकरारनामा बयनामा दिनांक १६-५-७४ ई० तहरीर
करके मुबलिग दस हजार रुपया जरसमन बयनामा बाजार में से वसूल
पाकर एकरारनामा सट्टा बयनामा की रजिस्ट्री कौश व बदस्त

75 Rs.

पचहत्तर रुपये

भारत

INDIA

७५रु. SEVENTY FIVE RUPEES 75Rs

रजिस्टरी कै नम्बर १ जिल्द ४६९३ सफहा १०२ लगायत १०५ में बसिलसिला नम्बर १७५१ पर दिनांक १-५-१९७४ ई० को दफ्तर सब रजिस्ट्रार साहिब कोटा बाजाब्ता की गयी है। अब मिन मुकिरान को मुताबिक शरायत बट्टी मकबूलानामा बयनामा कतई व बदस्तूर [मुतल्लिका मौजूदा] अपने जायदाद मुसरहा मुफस्सला जैल का कर देना नेहायत जरूरी व लाजिमी है मिनमुकिरान ने जायदाद मुसरहा मुफस्सला जैल के फरोख्तगी के बाबत मंजूरात भी अन्तर्गत धारा २६ श्रीमान संयुक्त निदेशक सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण [illegible] से दिनांक ४-१०-७८ को प्राप्त कर लिया है, लेहाजा मिन मुकिरान ब सेहत जात व सबात अक्ल व दुरुस्ती अपने बगैर [illegible] जब्र व इकराह ब खुशी व रजामंदी बयनामा लाकलाम बाबत जायदाद मुसरहा मुफस्सला जैल ब एवज मुबलिग १२००० बारह हजार

75 Rs.

पचहत्तर रुपये

७५रू. भारत INDIA 75RS

SEVENTY FIVE RUPEES

होता है कज़ा व क़दरत अमिली सुशीला देवी पत्नी श्री महेन सिंह अहलीया सिया साकिना मुहल्ला हो ३८। ८७ हौजकटोरा शहर बाराबंकी तहरीर व तकमील करके अपने अपने को [illegible] व अपने अपने वारिसान व कायम मुकामानलेखबंद शरायत जैल से करते है व एकरार करते है कि :-

१ यह कि जायदाद शैय मुबय्या मुसरह मुफसला जैल मिलकियत अर्सा सास फेरा करदा मिन मुकिरान की है जिसमें मिनमुकिरान को कुल हुकूक व तियारात व हकूक हर किस्म के - हम तमालात केहासिल है,

२ यह कि मिन मुकिरान ने कुल जरसमन अवामाग गाजा मुबलिग१२००० बारह हज़ार रुपया मुतस्लिम पाऱूपा से इस तरीके पर वसूल पालिए कि मुबलिग१०००० दस हज़ार रुपया मिन

[illegible]

75 Rs.

पचहत्तर रुपये

भारत

INDIA

७५रु. 75 RS

SEVENTY FIVE RUPEES

७

रु० को नगद बरुए दौरान सब रजिस्टार साहब वाराणसी वसूल हो गया है मय बकिया मुबलिग २००० दो हजार रुपया जर समन बयनामा हाजा आज बवक्त रजिस्ट्री बयनामा हाजा रूबरू रजिस्टार साहब वाराणसी वसूल पा लिया, इसप्रकार कुल जर समन बयनामा हाजा मुबलिग १२००० बारह हजार रुपया मिन मुकिरान को मुशतरियान मौसूफान से दाम दाम वसूल हो गया है अब एक पिछामी बाबत जर समन बयनामा हाजा मिनमुकिरान का मुशतरियान मौसूफान के जिम्मा बाकी नहीं बन रहा। अगर आइंदा मिनमुकिरान कोई उजुर बाबत अदम वसूली निसबत जर समन बयनामा हाजा पेश करें तो के बमुकाबला बसिका हाजा बातिल व नाजायज मुतसौवर होगा।

३- यह कि जो मुकदमा मुसहर मुफस्सला जैल को मिनमुकिरान ने आज की तारीख में कब्जा व दखल मुशतरियान

रुपया पा कर बैय कतई लाकलाम जिसके कब्जा दखल मालिकाना व मौकई जायदाद बैय मुबइया मजकूर मुसरेहा जैल पर मुश्तरिया मौसूफा का करा दिये हैं और जो जो हक व हकूक व अख्तियारात मालिकाना निसबत जायदाद मुबइया मिन मुकिरान को तारीख इस रोज में हासिल रहे हैं वो सब अब कुल्ल व बदस्त मुश्तरिया मौसूफा बैय व मुन्तकिल हो गए हैं अब मिन मुकिरान को जायदाद बैय मुबइया मुसरेहा जैल से कोई वास्ता व सरोकार किसी किस्म का बाकी नहीं रह गया और न है और न आइन्दा होगा ।

४- यह कि जायदाद बैय मुबइया मुसरेहा जैल हर किस्म के बारदेने-बार केफालत - बार कुरकी - बहर मुआहिदा डिगरी व जमानत टैक्स व लगान सरकारी से बिलकुल पाक साफ बेलौस है और पाक साफ बेलिहाजात मिन मुकिरान बैय कर रहे हैं अगर आइन्दा बैय मुबइया मुसरेहा जैल के निसबत किसी किस्म

मुश्तरिया मौसूफा को हक होगा कि कुल मला रकम अदा करदा बाबत बारदे बैय मुबय्या मय हरजा व खिसारा व सूद बशरह दो रुपया सैकड़ा माहवारी मिन मुकिरान के जात व दिगर जायदाद से व सबील मुनासिब वसूल कर लेंगे। इसमें मिन मुकिरान व वारिसान व कायम मुकामान को न कोई उजुर है व नताइन्दा होगा।

५- यह कि मिनमुकिरान जायदाद बैयमुबय्या मुसर्रह मुफस्सला जैल के तनहा मालिक बजरिये बयनामा मौरखा ७ अक्टूबर सन ६३ है और सिवाय मिन मुकिरान के उसमें कोई दिगर शख्स किसी तरीके पर शरीक व सहीम खाह हिस्सेदार खाह काबिज दाखिल नहीं है, अगर बजीयाद कोई दिगर शख्स अलावा मिन मुकिरान के जायदाद बैय मुबय्या मुसर्रह मुफस्सला जैल में अपने को दावेदार शरीक व सहीम होना जाहिर व साबित करेगा और बजरिये सदर कुल खवाह जुज जायदाद बैय मुबय्या यदि कब्जा दखल मुश्तरिया मौसूफा से निकल जावेगी तो उस सूरत में मुश्तरिया मौसूफा को पूरा हक व मजाज होगा कि वह कुल खवाह जुज जर समन बयनामा हाजा (जैसी भी सूरत होवेगी) मिन मुकिरान के जात व दिगर जायदाद से मय सूद बशरह दो रुपया सैकड़ा माहवारी व मय रकम खर्चा व हरजा के बसबील मुनासिब वसूल कर लेंगी।

६- यह कि अगर कब्ज़ा किसी फेल या तर्क फेल या कब्ज़ा नुक्श मिलकियत खास है कब्ज़ा अदम हस्तक्षारी मिनमुकिरान कुल खाह जुज जायदाद रैय मुबइया कब्ज़ा दखल मुशतरियान मौसूफा से निकल जावेगा तो हर सूरत मुशतरियान मौसूफा को हक हासिल है व होगा कि कुल जरसमन अलावा हरजाना व खर्चा व खिसारा व सूद ब शरह दो रुपया सैकड़ा माहवारी मिन मुकिरान की जात व दिगर जायदाद से ब सबील मुनासिब वसूल करलें। इस में मिन मुकिरान व वारिसान व कायम मुकामान मिन मुकिरान को न कोई उज्र है व न आइन्दा होगा।

७- यह कि मिन मुकिरान के कौल व फेल व इकरार व वाकयात मुन्दरजा बाला बैयनामा व बावर करके मुशतरियान मौसूफा इस कदर जरसमन अदा करके जायदाद रैय मुबइया - मुन्दरजा जैल का बैनामा मिनमुकिरान से करा रहे हैं। अगर आइंदा कोई गलत ब्यानी मिन मुकिरान जाहिर व साबित होगी तो मिन मुकिरान उसका कोई फायदा नाजायज पाने के हरगिज मुस्तहक न होंगे। और हर हालत में मजमून व शरायत वसीका हाजा की पूरी पाबंदी व जिम्मेदारी मिन मुकिरान पर है व आइंदा भी होगी। अलावा वरी मिनमुकिरान मुतअल्लिक

[illegible] के भी होंगे।

८- यह कि मिन मुकिरान ने जायदाद शैय मुबय्या मुसर्रा जैल के बैय करने व रजिस्टरी करने की इजाजत बोयचान संयुक्त निदेशक व सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण वाराणसी से हस्ब दफा २६ अरबन सीलिंग पत्रांक संख्या २६० दिनांक ४-११-७८ हासिल कर लिए हैं जो असल कागजात दफ्तर सब रजिस्ट्रार साहब सदर वाराणसी में दाखिल किया जा रहा है।

९- यह कि यदि आइन्दा जायदाद शैय मुबय्या के निसबत कोई नये टैक्स लगेगा तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी मन मुकिरान की होगी, और उसे मुशतरिया मौसूफा को अदा करना पड़ेगा तो मुशतरिया मौसूफा को उस सूरत में पूरा अख्तियार हासिल होगा कि वह कुल रकम मय अदा करदा खर्चा मय सूद बशरह दो रुपया सैकड़ा माहवारी मिन मुकिरान के जात व दिगर जायदाद से मय जुमला एखराजात के वसूल करलेंगी।

१०- यह कि मन मुकिरान खुद दरख्वास्त देकर एखराज नाम खुद मुशतरिया मौसूफा का नाम मुन्दर्ज कागजात सरकारी करा देंगे और मिन मुकिरान इस में कासिर रहे या किसी किस्म की पहलूतही करे तो मुशतरिया मौसूफा को खुद

अख्तियार है व होगा कि के खुद दरख्वास्त देकर कागजात हाजा के बिना पर तकमिला दाखिल खारिज बनाम खुद करा लेवे और टैक्स व लगान सरकार अदा करके रसीदात बनाम खुद हासिल करलिया करे इस में मिनमुकिरान व वारिसान दिगर मेम्बरान खानदान मिन मुकिरान को न कोई उजुर है व न आइंदा होगा।

११- यह कि कुल मजमून व शरायत वसिका हाजा को मिन मुकिरान ने व खूबी पढ़ व पढ़वा कर सुन व समझ कर तहरीर किए है जिसकी व आइंदा पूरी पाबंदी मिन मुकिरान व वारिसान व कायम मुकाम मिन मुकिरान पर है व आइंदा रहेगी इस वास्ते मिन मुकिरान ने यह चन्द कलमा बतौर बयनामा लिख दिए कि वक्त पर काम आवे व सनद रहे।

तफसील जायदाद शेय मुबइया

आराजियात भूमिधरी नम्बर ५१५ । १ मजाजी -५१ डिसमिल व ५१७ । २ मजाजी -१० डिसमिल कुल २ गाटा रकबा -६१ डिसमिल वाका मौजा करमवा परगना देहात अमानत जिला वाराणसी :- जिसका लगान ४ रूपया ३४ पैसा सालाना है

वाजा हो कि जायदाद शेय मुबइया की जमीनी किस्म

मदा रहता है, ये मुकान जिस मकान में स्थित है वहां महल्ला के प्रयोग में आता रहता है, कोई फेरफार नहीं होता जिसकी सरकारी कीमत ७५०० रुपया मुकर्रर है मगर स्टाम्प व रजिस्टरी फीस बाजारी रेट पर बारह हजार रुपया पर अदा किया जा रहा है।

नोट :- वाजा पीकि नं ५ के सतर ५ में वाक्य के ऊपर :मुताबिक परिपूर्ण टाइप हो रहे हैं। व नं ६ के सतर ३ में शब्द के: के बाद [illegible] कटा है। नं ६ के सतर १० में बाद [illegible] [illegible] :के बाद : [illegible] ऊपर टाइप हो रहे हैं। व सतर १९ में मुताबिक के बाद [illegible] ऊपर टाइप हो रहे हैं।

ड्राफ्ट बाई :- श्री प्रकाशचन्द जायसवाल स्टाम्प वेंडर :

तहरीर तारीख ६-११-१९७८ ई०

टाइप कर्ता :- राम नारायनलाल Ram Narainlal

वाकिफ हो ७। ९८४ ए [illegible]

बही नं. 1 जिल्द 5080 के पृष्ठ 440/448 में
नं. 8403 पर आज दिनांक 23-11-2013
को रजिस्ट्री की गई।

[illegible]

[illegible] 1/4/80

वादसं. 2591
ता० फैसला 3-4-13
नह. न्यायिक सेवा [illegible]